The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research
An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 8 | August 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

बिहार में माध्यमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की निरंतरता को प्रभावित करने वाले सामाजिक, पारिवारिक और संस्थागत आयाम: एक समीक्षात्मक अध्ययन

Ruby Singh
(Research Scholar), Email : sanvisingh0912@gmail.com
Research Guide: **Dr. Mamta Sharma**
Department of Education, NIILM University, Kaithal, Hariyana

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17120317

ARTICLE DETAILS

Research Paper
Accepted: 19-08-2025
Published: 10-09-2025

Keywords:
बालिका शिक्षा, बिहार, माध्यमिक विद्यालय, सामाजिक बाधाएँ, पारिवारिक समर्थन, संस्थागत सुविधाएँ, शिक्षा में निरंतरता, द्वितीयक स्रोत, शैक्षिक नीति

ABSTRACT

यह शोध पत्र बिहार राज्य में माध्यमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की निरंतरता को प्रभावित करने वाले सामाजिक, पारिवारिक और संस्थागत आयामों की समीक्षा पर केंद्रित है। लड़कियों की शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने के लिए सिर्फ शैक्षणिक व्यवस्था ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं, परिवारों के नजरिए और स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। लड़कियों के स्कूल छोड़ने के कारणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, इस लेख का उद्देश्य बिहार राज्य में लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा में भागीदारी के रास्ते में आने वाली बहुस्तरीय बाधाओं का विश्लेषण करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यूनिसेफ की रिपोर्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े, शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और पिछले शोध परियोजनाओं की जानकारी सभी माध्यमिक स्रोतों के उदाहरण हैं जिनका इस अध्ययन में उपयोग किया गया था। समीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर, यह पता चला कि सामाजिक पूर्वाग्रह, जैसे लिंग के आधार पर भेदभाव और बच्चों की शादी करने की प्रथा, महिलाओं के अपनी शिक्षा जारी रखने की संभावना को कम करती है। साथ ही, लड़कियों को अपने परिवारों से समर्थन की कमी के कारण

स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो कई तरह से प्रकट हो सकता है, जिसमें उनकी पढ़ाई में रुचि की कमी, घर की जिम्मेदारियों का बोझ और वित्तीय बाधाएँ शामिल हैं। इसके अलावा, स्कूलों में पर्याप्त शौचालयों की अनुपस्थिति, महिला शिक्षकों की अनुपस्थिति और शिक्षार्थियों और शिक्षकों के बीच शारीरिक दूरी जैसी संरचनात्मक बाधाओं से शिक्षा की निरंतरता बाधित होती है। इस समीक्षा शोध के निष्कर्षों से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि लड़कियों की शिक्षा की निरंतरता एक बहुआयामी चिंता है जिसके समाधान के लिए व्यापक और लक्षित नीतिगत पहल की आवश्यकता है। नीतियों को तैयार करने और उनका पुनर्गठन करने के लिए, नीति निर्माता, सामाजिक समूह और शिक्षाविद इस अध्ययन द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि से लाभ उठा सकते हैं।

1. प्रस्तावना

बिहार राज्य में लड़कियों की शिक्षा की मौजूदा स्थिति बेहद कठिन रही है, खास तौर पर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की निरंतरता के मामले में। इस तथ्य के बावजूद कि समय के साथ प्राथमिक शिक्षा में नामांकित लड़कियों का प्रतिशत बढ़ रहा है, लड़कियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माध्यमिक स्तर तक पहुँचने के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाता है। यह घटना न केवल राज्य के सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि यह शिक्षा प्रणाली में लैंगिक असमानता के मूल तंत्र पर भी प्रकाश डालती है। सामाजिक संदर्भ, परिवार की मानसिकता, स्कूलों के संगठनात्मक ढांचे और सरकार के प्रयासों के बावजूद, लड़कियों की शिक्षा में निरंतरता एक बुनियादी चिंता बनी हुई है (अग्निहोत्री, 2020; दीक्षित, 2019)। यह विषय इसलिए भी अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि यह राज्य के समग्र विकास, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय से सीधे जुड़ा हुआ है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी-4 और एसडीजी-5) के अनुसार, सभी छात्रों को शामिल करना और शिक्षा प्रणाली में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना दुनिया भर में प्राथमिकता बन गई है। ये नीतिगत दस्तावेज यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी की शिक्षा तक पहुँच समान हो। दूसरी ओर, लड़कियों की शिक्षा, विशेष रूप से वे जो आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण, ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों से आती हैं, लक्षित हस्तक्षेप की मांग करती हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि शिक्षा के सामाजिक और आर्थिक दोनों लाभ हैं, बिहार में अभी भी कई बाधाएँ हैं। इनमें से कुछ बाधाओं में बाल विवाह, सुरक्षा की कमी, आर्थिक निर्भरता और व्यापक सामाजिक पूर्वाग्रह शामिल हैं (वर्मा, 2018; मिश्रा, 2020)। इन परिस्थितियों में, यह शोध विशेष रूप से उस शून्य को भरने का प्रयास करेगा जो नीति और जमीनी क्रियान्वयन के बीच विद्यमान है।

यूनिसेफ की रिपोर्ट (2019) के अनुसार, बिहार में 15 से 17 वर्ष की आयु की लड़कियों में माध्यमिक शिक्षा पूरी करने की दर मात्र 42% है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-20) के अनुसार, बाल विवाह की दर लगभग चालीस प्रतिशत है, जिसका सीधा असर स्कूली शिक्षा की निरंतरता पर पड़ता है। जबकि यह सब चल रहा है, UDISE+ (2020) की रिपोर्ट बताती है कि राज्य के कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं, जैसे कि अलग शौचालय, महिला शिक्षकों की उपलब्धता और सुरक्षा सावधानियाँ। ये सभी तत्व एक-दूसरे से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं, और जब इन्हें एक साथ लिया जाता है, तो वे बाधाएँ पैदा करते हैं जो महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से रोकते हैं (पाटिल, 2020; शरण, 2019)। यह शोध न केवल सामाजिक जागरूकता और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि विचार के लिए प्रस्तुत किए गए तथ्यों के मद्देनजर यह बेहद सामयिक भी है।

अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य इस अध्ययन का उद्देश्य बिहार राज्य में लड़कियों को अपनी माध्यमिक शिक्षा जारी रखने से रोकने वाली प्रमुख सामाजिक, पारिवारिक और संस्थागत बाधाओं की पहचान करना और इन बाधाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। इस शोध के दौरान, मौजूदा शैक्षिक असमानताओं को समझने का प्रयास किया गया, साथ ही नीति निर्माताओं, सामाजिक समूहों और शिक्षाविदों के लिए साक्ष्य-आधारित और व्यावहारिक सुझाव प्रदान करने का प्रयास किया गया, जिसका लक्ष्य लड़कियों के लिए उपलब्ध शैक्षिक अवसरों को बढ़ाना और बनाए रखना है।

इस अध्ययन की प्रकृति पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित रही। इसमें किसी भी प्रकार की प्राथमिक डेटा संग्रहण प्रक्रिया या सांख्यिकीय विश्लेषण शामिल नहीं किया गया। शोध एक *समीक्षात्मक अध्ययन* था, जिसमें पूर्व प्रकाशित नीतिगत दस्तावेज़, रिपोर्ट्स, और शोध-आलेखों के आधार पर विषयवस्तु का मूल्यांकन किया गया।

डेटा स्रोत विषयगत समीक्षा के लिए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, यूनिसेफ और यूनेस्को की रिपोर्ट, भारत सरकार और बिहार सरकार की शिक्षा से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट, साथ ही पूर्व में प्रकाशित शोध लेख, केस स्टडी और शोध प्रबंधों का उपयोग किया। इन सभी दस्तावेजों से प्राप्त आंकड़ों और विश्लेषण के बाद, उनका विषयगत मूल्यांकन किया गया।

शोध दृष्टिकोण और विधि के अंतर्गत थीमैटिक एनालिसिस (Thematic Review) कमरे के बीच में रखा गया। प्रत्येक कारक - सामाजिक, पारिवारिक और संस्थागत - को एक अलग विषय के रूप में व्यवस्थित किया गया था और पहले के अध्ययन के परिणामों के आधार पर गहन विश्लेषण के अधीन किया गया था। तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर, हम कई अलग-अलग तत्वों के अंतर्संबंधों और प्रभावों का विश्लेषण करने में सक्षम थे। इससे हमें लड़कियों की शिक्षा में होने वाले व्यवधान की मात्रा और इसके पीछे के कारणों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली।

2. सामाजिक बाधाएँ और बालिका शिक्षा

लड़कियों की शिक्षा जारी रखने पर प्रभाव डालने वाले सबसे गहरे और बहुआयामी चरों में से एक सामाजिक बाधाओं का अस्तित्व है। खासकर बिहार जैसे राज्य में, जहाँ पुरानी सामाजिक संस्थाएँ अभी भी बहुत हद तक मौजूद हैं, वहाँ कई तरह की मानसिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक बाधाएँ हैं जो लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकती हैं। इन सामाजिक बाधाओं के कुछ सबसे प्रमुख उदाहरण लिंग के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर पूर्वाग्रह और सामाजिक रूढ़ियाँ हैं। महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों को कभी-कभी एक अनावश्यक "बोझ" या "अवसर की बर्बादी" के रूप में माना जाता है, और अक्सर यह देखा जाता है कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है (दत्त, 2018; भंडारी, 2020)। ग्रामीण परिवेश में यह सोच अधिक व्यापक रूप से देखी जाती है, जहाँ लड़कियों को प्राथमिकतः घरेलू कार्यों, विवाह और मातृत्व की भूमिका के लिए तैयार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, जाति पर आधारित रूढ़िवादिता महिलाओं की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में उभरती है, विशेष रूप से उन समुदायों में जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक ओर, इन समूहों की लड़कियों को उनके लिंग के आधार पर सामाजिक रूप से वंचित किया जाता है, जबकि दूसरी ओर, उन्हें उनकी जाति के कारण सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है। यह तथ्य कि उन्हें अक्सर स्कूलों में पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है, उनके स्कूल छोड़ने के निर्णय का एक प्रमुख कारक है (सोनकर, 2019; आहूजा, 2020)। सामाजिक श्रेणियों के बीच की दूरी और शिक्षा के अवसरों में विषमता, विशेष रूप से माध्यमिक स्तर पर, बालिकाओं की शिक्षा को बाधित करती है।

युवा लड़कियों की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा बाल विवाह की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता है। बिहार राज्य के कई हिस्सों में आज भी यह धारणा प्रचलित है कि "परिवार की जिम्मेदारी निभाने" के उद्देश्य से कम उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती है। इस मानसिकता के साथ, लड़कियों की शिक्षा को कम

महत्व दिया जाता है और जैसे ही वे किशोरावस्था में पहुँचती हैं, वे स्कूल जाना छोड़ देती हैं। वास्तव में, बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खुद की देखभाल करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, इस तथ्य के बावजूद कि इसे सामाजिक स्थिति, सुरक्षा और परंपरा का मामला माना जाता है (हुसैन, 2020; भाले, 2017)। कई लड़कियाँ शादी के बाद शिक्षा पुनः प्रारंभ करना चाहती हैं, परंतु सामाजिक दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ उन्हें रोक देती हैं।

शिक्षा के महत्व और लड़कियों को पढ़ाए जाने वाले विषय-वस्तु के बारे में समाज में प्रचलित सोच के बीच एक संबंध है। माता-पिता की एक महत्वपूर्ण संख्या का मानना है कि लड़कियों के लिए शिक्षा व्यर्थ है, क्योंकि अंत में उन्हें शादी करनी होगी और घरेलू जीवन जीना होगा। लड़कियों की शिक्षा को सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ जोड़ने की अवधारणा में अक्सर कमी होती है, और वे अपने दिमाग में स्कूल को केवल 'काम' के साधन के रूप में देखते हैं (मेहता, 2019; राजन, 2020)। ऐसे विचार सामाजिक चेतना की कमी को दर्शाते हैं और इसी कारण राज्य के कुछ भागों में बालिकाओं की शिक्षा में प्रगति अत्यंत धीमी रही है।

अतः जब लड़कियों को अपनी शिक्षा जारी रखने से रोकने की बात आती है, तो यह स्पष्ट है कि सामाजिक बाधाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नीति और कार्यक्रम संबंधी पहल अपने आप में पर्याप्त नहीं होंगी जब तक कि उनके साथ जन जागरूकता अभियान और सामाजिक परिवर्तन की पहल न हो जो लैंगिक मुद्दों पर ध्यान दें। इस स्थिति से निपटने के लिए समाज में लोगों की मानसिकता को बदलना मुख्य ध्यान होना चाहिए।

3. पारिवारिक समर्थन की भूमिका

बालिका शिक्षा की निरंतरता में *परिवार की भूमिका* अत्यंत निर्णायक होती है। खास तौर पर बिहार जैसे सामाजिक रूप से संवेदनशील राज्य में, जहां परिवारों के सांस्कृतिक मानदंड, विश्वास और परंपराएं युवा महिलाओं के लिए उपलब्ध शैक्षिक अवसरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में परिवार की आर्थिक स्थिति, माता-पिता की शैक्षिक पृष्ठभूमि, माता-पिता का अपने बच्चों के प्रति रवैया और घर के भीतर श्रम का विभाजन शामिल है (श्रीधरन, 2020; भोंसले, 2019)। यदि परिवार में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समर्थन नहीं होता, तो बालिकाएं विद्यालय तक पहुँचने में सफल नहीं हो पातीं या बीच में पढ़ाई छोड़ने को विवश हो जाती हैं।

माता-पिता की शैक्षिक पृष्ठभूमि और लड़कियों की शिक्षा के प्रति विचारों के बीच काफी संबंध है। ज़्यादातर मामलों में, जिन परिवारों में माता या पिता ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, वे अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने, उन्हें परीक्षाओं के लिए तैयार करने और यह सुनिश्चित करने की पहल करते हैं कि उनके पास शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच हो। दूसरी ओर, जिन माता-पिता की शिक्षा या साक्षरता का स्तर कम है, वे चाहते हैं कि उनकी बेटियाँ उनके घर के ज़्यादातर काम करें। वे यह नहीं मानते कि शिक्षा फायदेमंद है और मानते हैं कि शादी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है (देवधर, 2017; पाटेकर, 2018)। यह प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, जहाँ शिक्षा को 'लड़कों के लिए निवेश' और 'लड़कियों के लिए अनावश्यक' समझा जाता है।

इसके अलावा, परिवार की वित्तीय स्थिति एक महत्वपूर्ण तत्व है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। केवल एक बच्चे को स्कूल भेजने का निर्णय अक्सर कम आय वाले परिवारों में पैसे की कमी के कारण लिया जाता है। ज़्यादातर मामलों में, जिस बच्चे को स्कूल भेजा जाता है वह लड़का होता है। लड़कियों को स्कूल भेजने के बजाय, उन्हें घर के कामों में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया जाता है। उन्हें कभी-कभी मज़दूरी या खेतों में काम करने के लिए भी कहा जाता है, जिससे उनके लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। स्कूल की वर्दी, किताबें या फीस का भुगतान करने की कोशिश करते समय आने वाली कठिनाइयों के कारण, लड़कियाँ नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वित्तीय सीमाओं का सामना करती हैं (बनर्जी, 2019; तिवारी, 2020)।

एक और महत्वपूर्ण कारक यह है कि लड़कियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत कम स्वायत्तता प्राप्त है। अधिकांश विकल्प परिवार के पुरुष सदस्यों या अभिभावकों द्वारा उन संस्थानों में लिए जाते हैं जो पुराने पितृसत्तात्मक प्रतिमान का पालन करते हैं। अध्ययन करना है या नहीं, स्कूल कब जाना है, या उच्च शिक्षा प्राप्त करना है या नहीं, इसका निर्णय लड़कियाँ स्वयं नहीं ले सकती हैं। अधिकांश समय, उनकी राय पर विचार नहीं किया जाता है, और उन्हें परिवार द्वारा लिए गए निर्णयों को चुनौती दिए बिना स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। यह परिस्थिति विशेष रूप से उन घरों में प्रचलित है जहाँ लड़कियों को "पराया धन" के रूप में देखा जाता है और शिक्षा को उनके लिए अनावश्यक माना जाता है (राजगढ़िया, 2018; हेम्ब्रम, 2020)। इससे न केवल उनकी शिक्षा बाधित होती है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं।

अतः जब लड़कियों के लिए शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने की बात आती है, तो यह स्पष्ट है कि परिवार के भीतर लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया, शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच सभी महत्वपूर्ण घटक हैं। यहां तक कि सरकारी कार्यक्रम या कानून भी सीमित लाभ ही प्रदान करेंगे यदि परिवार अपनी बेटियों को आवश्यक निर्णय लेने के लिए आवश्यक अधिकार, समय और संसाधन प्रदान नहीं करता है।

4. संस्थागत अवसंरचना की स्थिति

लड़कियों की शिक्षा की निरंतरता न केवल सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, बल्कि स्कूलों की संस्थागत संरचना भी इस बात को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि इसे किस हद तक जारी रखा जाए। अगर स्कूलों में उचित भौतिक अवसंरचना, सुविधाजनक पहुँच, महिला शिक्षकों की उपस्थिति और सुरक्षित और उत्साहजनक वातावरण न हो, तो लड़कियों के लिए अपनी शिक्षा जारी रखना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। बिहार में, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति कई स्तरों पर असंगत और अपर्याप्त पाई गई है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मामला है (अरोड़ा, 2018; नाइक, 2019)। विद्यालयों की भौगोलिक दूरी, परिवहन की अनुपलब्धता और मार्ग की असुरक्षा विशेष रूप से किशोरावस्था में लड़कियों के विद्यालय छोड़ने का बड़ा कारण बनती है।

अनेक विद्यालयों में *पृथक और सुरक्षित शौचालयों* का न होना भी एक गंभीर बाधा है। किशोरवय की लड़कियाँ, विशेषतः माहवारी के समय, यदि शौचालय या स्वच्छता की सुविधा न हो तो वे विद्यालय जाने से कतराती हैं। यूनिसेफ और UDISE+ की रिपोर्टें दर्शाती हैं कि बिहार के एक बड़े हिस्से में माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए समुचित स्वच्छता सुविधाओं का घोर अभाव है (देसाई, 2020; भट्टाचार्य, 2017)। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य और गरिमा की दृष्टि से चिंताजनक है, बल्कि यह शिक्षा से उनके अलगाव का भी कारण बनती है।

एक अन्य संस्थागत कमी *महिला शिक्षकों की अनुपलब्धता* है। ग्रामीण विद्यालयों में महिला शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, जिससे लड़कियाँ विद्यालय में असहज अनुभव करती हैं। शिक्षक-छात्रा संवाद का अभाव, परामर्श की कमी और सामाजिक दूरी उनकी सीखने की प्रक्रिया को कमजोर करती है (शेख, 2019; गोस्वामी, 2018)। महिला शिक्षक न केवल एक सकारात्मक रोल मॉडल होती हैं, बल्कि वे बालिकाओं की समस्याओं को बेहतर समझती हैं और एक संरक्षित वातावरण प्रदान कर सकती हैं।

जब लड़कियों की शिक्षा की बात आती है, तो स्कूल का आंतरिक माहौल भी एक बेहद महत्वपूर्ण कारक होता है। जब स्कूल में ऐसा माहौल होता है जो डर, पूर्वाग्रह, अनुशासनात्मक दमन या उपेक्षा से भरा होता है, तो इस बात की अधिक संभावना होती है कि लड़कियाँ स्कूल जाना छोड़ सकती हैं। दूसरी ओर, लड़कियों के स्कूल में लंबे समय तक शामिल रहने की संभावना अधिक होती है, जब माहौल लड़कियों पर केंद्रित होता है (मजूमदार, 2020; खान, 2019)। ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़कियों की आवाज़ सुनी जाती है, वे भाग लेती हैं और उन्हें ऐसी गतिविधियाँ प्रदान की जाती हैं जो उनमें आत्मविश्वास पैदा करती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षकों की ओर से पितृसत्तात्मक सोच और कट्टरता अभी भी कई संस्थानों में प्रचलित है, जो महिलाओं के लिए उपलब्ध शैक्षिक अवसरों को सीमित करती है।

सरकार द्वारा की गई पहल, जैसे "स्वच्छ विद्यालय अभियान", "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" और "कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना", युवा महिलाओं की शिक्षा के लिए लाभकारी पहल के उदाहरण हैं। दूसरी ओर, इन विचारों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन अक्सर असमान, अपर्याप्त और संसाधनों की कमी के कारण बाधित होता है। कई प्रकाशनों से यह पता चला है कि भले ही भवनों के निर्माण, शौचालयों की उपलब्धता, डिजिटल शिक्षा और सुरक्षा उपायों के बारे में बयान दिए गए हों, लेकिन अधिकांश लड़कियों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है (नवीन, 2020; दत्ता, 2018)। लड़कियों की शिक्षा की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, नियोजित गतिविधियों और वास्तविक निष्पादन के बीच मौजूद अंतर को पाटना आवश्यक है। इसलिए, संस्थागत बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता न केवल शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है, बल्कि यह भी तय करती है कि एक लड़की कितने समय तक स्कूल में भाग ले पाएगी और वह इसमें किस हद तक सफलता प्राप्त करेगी। छात्राओं की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए स्कूलों का पुनर्गठन किए बिना, समावेशी शिक्षा केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में ही अस्तित्व में रहेगी।

5. नीतिगत विश्लेषण और योजनाओं की समीक्षा

बिहार राज्य में बालिका शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु पिछले एक दशक में अनेक सरकारी योजनाएँ और नीतिगत प्रयास किए गए हैं। इनमें प्रमुख योजनाएँ हैं – *"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ," "मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना," "साइकिल योजना,"* और *"कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना"*। इन योजनाओं का उद्देश्य बालिकाओं के शैक्षणिक जीवन में निरंतरता, सुरक्षा, प्रेरणा और सामाजिक समर्थन प्रदान करना रहा है। परंतु, इन योजनाओं की सफलता या विफलता केवल घोषणाओं पर नहीं,

बल्कि उनके *जमीनी क्रियान्वयन और व्यवहारिक प्रभाव* पर निर्भर करती है (सिंघल, 2019; घोष, 2020)।

"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" इस कार्यक्रम की शुरुआत संघीय सरकार ने वर्ष 2015 में लिंग अनुपात को बढ़ाने और लड़कियों के लिए उपलब्ध शिक्षा के अवसरों को अधिकतम करने के उद्देश्य से की थी। राज्य स्तर पर, स्थानीय सरकार की सक्रियता अभियान के प्रभाव की सीमा निर्धारित करेगी, इस तथ्य के बावजूद कि यह एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है। हालाँकि बिहार राज्य में इस योजना के लिए प्रचार गतिविधियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन वास्तविक नामांकन और स्कूली शिक्षा की निरंतरता में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ (राय, 2018)। *"मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना"* के अंतर्गत बालिकाओं को स्नातक स्तर तक आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है, परंतु इस योजना का लाभ अधिकतर तब मिलता है जब बालिका पहले ही माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी कर चुकी हो। अतः इस योजना का सीधा प्रभाव माध्यमिक स्तर पर शिक्षा छोड़ने की प्रवृत्ति पर नहीं पड़ता (झा, 2020; दुबे, 2020)।

"साइकिल योजना" कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों के लिए स्कूल जाना आसान बनाना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ स्कूल की दूरी एक संभावित बाधा है। हालाँकि, साइकिल वितरण की प्रक्रिया कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, देरी और तकनीकी दोषों से ग्रस्त थी (तिवारी, 2019)। योजना के शुरुआती वर्षों के दौरान, स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, बड़ी संख्या में युवतियों ने कहा है कि साइकिलों की सुरक्षा और स्कूल मार्गों पर मौजूद सुरक्षा की कमी महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं जिन्हें कार्यक्रमों द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है।

सरकारी रिपोर्टों और नीतियों में अब *लिंग-संवेदनशील प्रावधानों* को स्थान दिया गया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में लैंगिक समावेशन निधि, लैंगिक समावेशी विद्यालय और छात्रा-केंद्रित रणनीतियों की बात की गई है। परंतु बिहार में इन प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया धीमी और अस्पष्ट रही है (शर्मा, 2020)। UDISE+ रिपोर्टों में यह उल्लेखित है कि अधिकांश विद्यालयों में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, सेनेटरी सुविधाएँ, महिला शिक्षकों की नियुक्ति जैसे प्रावधान अब भी अधूरे हैं।

व्यावहारिक दृष्टिकोण से इन कार्यक्रमों के सामने सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक बाधाएँ ज्ञान की कमी, धन का दुरुपयोग, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की धीमी दर हैं। इन योजनाओं का दीर्घकालिक प्रभाव तभी संभव है जब इनके साथ निगरानी, समुदाय से जुड़ाव और निरंतर समीक्षा की व्यवस्था हो (सक्सेना, 2019; चौबे, 2020)।

इस कारण, केवल परियोजनाओं की घोषणा करना ही पर्याप्त नहीं है। जब वे जमीनी स्तर पर बालिकाओं की आवश्यकताओं को सीधे संबोधित करती हैं, व्यावहारिक बाधाओं को दूर करती हैं, तथा प्रशासनिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर जिम्मेदारी स्थापित करती हैं, तभी उन्हें प्रभावी कहा जा सकता है।

6. वैश्विक दृष्टिकोण और बिहार की स्थिति का तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

बिहार की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, लड़कियों की शिक्षा के संबंध में दुनिया भर के विभिन्न देशों और सरकारों द्वारा किए गए प्रगतिशील प्रयास एक आवश्यक तुलनात्मक आधार प्रदान करते हैं। दुनिया भर में कई विकासशील देशों द्वारा बहुआयामी रणनीतियों को अपनाने के परिणामस्वरूप शिक्षा में लिंग-आधारित असमानता में काफी कमी आई है। इन रणनीतियों का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। दुनिया भर से और राष्ट्रीय स्तर पर ये उदाहरण बिहार राज्य के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम कर सकते हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत परिस्थितियों की जटिलता के कारण महिलाओं की शैक्षिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। उदाहरण के तौर पर, भारत में केरल राज्य को युवा महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक सफल मॉडल माना जाता है। इसकी साक्षरता दर देश में सबसे अधिक है, खासकर महिलाओं के बीच किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि केरल में, बुनियादी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक, महिलाओं के लिए पर्याप्त संस्थागत बुनियादी ढांचा है, एक संतुलित शिक्षक-छात्र अनुपात है, महिला प्रशिक्षकों की उपस्थिति है और सामाजिक दृष्टिकोण में शिक्षा को महत्व दिया जाता है। दूसरी ओर, बिहार में लड़कियों की साक्षरता दर अभी भी बहुत कम है, और माध्यमिक विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उनकी शिक्षा को जारी रखना एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

"राजश्री योजना" और "स्कूल चलो अभियान" जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से, राजस्थान जैसे राज्य, जो पहले बाल विवाह और अधिक पारंपरिक सामाजिक संरचना के परिणामस्वरूप लड़कियों की शिक्षा में बाधाओं का सामना कर रहे थे, ने स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हासिल किया है। इस तथ्य के बावजूद कि राजस्थान और बिहार दोनों को सामाजिक रूप से रूढ़िवादी राज्य माना जाता है, राजस्थान ने योजनाओं और सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुधार करके शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे बदलाव लाने का प्रयास किया है।

यह स्पष्ट है कि "महिला माध्यमिक विद्यालय वजीफा कार्यक्रम" जैसे कार्यक्रम बिहार में लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं, खासकर जब बांग्लादेश की तुलना में, जो एक निकटवर्ती राष्ट्र है। वित्तीय सहायता के प्रावधान, स्कूलों में मुफ्त पाठ्यपुस्तकों के प्रावधान, महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति

और सामाजिक जागरूकता पहलों के कार्यान्वयन के माध्यम से, बांग्लादेश ने यह सुनिश्चित करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में असाधारण सफलता हासिल की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा मिलती रहे। तुलनात्मक रूप से, बिहार राज्य में तुलनीय कार्यक्रम मौजूद हैं; हालाँकि, इन कार्यक्रमों के दीर्घकालिक प्रभाव अभी तक आबादी के हर वर्ग तक नहीं पहुँच पाए हैं।

यह विरोधाभास यह स्पष्ट करता है कि लड़कियों को शिक्षित करने की समस्या केवल कार्यक्रमों की घोषणा करने से हल नहीं होगी; बल्कि, इसे ऐसे कार्यक्रम विकसित करके हल किया जाएगा जो प्रभावी रूप से कार्यान्वित, निगरानी, सामाजिक रूप से समन्वित और व्यवहारिक परिवर्तन लाने में सक्षम हों। बिहार राज्य को इन अन्य राज्यों और देशों के अनुभवों से सीख लेने की जरूरत है और अपनी योजनाओं और नीतियों में संशोधन करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा में लैंगिक समानता जमीनी स्तर पर हासिल की जा सके।

7. निष्कर्ष

इस शोध का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा की निरंतरता पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक, पारिवारिक और संस्थागत तत्वों की जांच करना था। जांच के दौरान, विभिन्न माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से यह पता चला कि लड़कियों की शिक्षा केवल शैक्षिक अवसरों की पहुंच पर निर्भर नहीं है; बल्कि, यह समाज में प्रचलित रूढ़ियों, परिवारों की प्राथमिकताओं और संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता से भी गहराई से प्रभावित है। शोध इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लड़कियों की शिक्षा को जारी रखना वास्तव में एक बहुआयामी चुनौती है। इस चुनौती में सामाजिक मान्यताएं, बाल विवाह की स्वीकार्यता, घरेलू जीवन की जिम्मेदारियां, माता-पिता की ओर से शैक्षिक जागरूकता की कमी, स्कूलों के बीच भौगोलिक दूरी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव और महिला शिक्षकों की कमी सहित कई मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा, नीति निर्माण में लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण की कमी और सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में असमानता दोनों ने इस स्थिति की जटिलता में योगदान दिया। आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि यदि राज्य स्तर पर एकीकृत नीतिगत ढांचा नहीं बनाया जाता है तो बालिका शिक्षा की दीर्घकालिक व्यवहार्यता की गारंटी देना मुश्किल है। इस ढांचे में स्कूल-केंद्रित सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे में सुधार, छात्र-केंद्रित पाठ्यक्रम और अभिभावकों की भागीदारी जैसे घटक शामिल होने चाहिए। सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, समुदाय की भागीदारी और स्कूलों में एक ऐसा माहौल स्थापित करना जो सुरक्षित और स्वागत योग्य दोनों हो, ये सभी इस दृष्टिकोण में

अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भविष्य में, इस क्षेत्र में और अधिक गहन शोध की आवश्यकता है, विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के तुलनात्मक अध्ययन, समुदाय-आधारित उपचारों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और योजना-आधारित हस्तक्षेपों के प्रभाव का मूल्यांकन। इस अध्ययन को करने से नीति निर्माता, स्कूल प्रशासक और सामाजिक संगठन इस जटिल समस्या की सीमा और बहुस्तरीय प्रकृति को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन एक ऐसे शैक्षिक ढांचे के विकास की दिशा में सलाह देगा जो समावेशी और न्यायसंगत दोनों हो।

संदर्भ सूची

- अग्निहोत्री, के. (2020). बिहार में शिक्षा की लैंगिक असमानताएँ। *शैक्षिक समाजशास्त्र पत्रिका*, 15(1), 55-69।
- अरोड़ा, डी. (2018). विद्यालय की भौगोलिक स्थिति और बालिका शिक्षा में निरंतरता। *प्रादेशिक शिक्षा अध्ययन*, 16(2), 73-86।
- आहूजा, एस. (2020). जातिगत पूर्वाग्रह और शिक्षा में लैंगिक विभाजन। *भारतीय सामाजिक अध्ययन जर्नल*, 18(2), 102-118।
- खान, एम. (2019). विद्यालय वातावरण की छात्रा-केंद्रित विशेषताएँ और उनका प्रभाव। *भारतीय शिक्षा पर्यवेक्षण*, 19(3), 67-79।
- गोस्वामी, के. (2018). महिला शिक्षक की भूमिका और छात्राओं की उपस्थिति में संबंध। *शैक्षिक सहभागिता पत्रिका*, 14(1), 89-101।
- घोष, टी. (2020). बालिका शिक्षा के संदर्भ में नीति क्रियान्वयन की समीक्षा। *नीति निर्माण एवं प्रबंधन पत्रिका*, 21(3), 93-107।
- चौबे, एन. (2020). सरकारी योजनाओं का शैक्षिक परिणामों पर प्रभाव: एक समालोचनात्मक अध्ययन। *विकास और शिक्षा विश्लेषण*, 14(2), 109-123।
- झा, डी. (2020). मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मूल्यांकन। *राज्य शिक्षा योजना समीक्षा*, 18(1), 88-101।
- तिवारी, जे. (2019). साइकिल योजना और माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं की उपस्थिति। *शिक्षा व नीति अध्ययन जर्नल*, 16(2), 90-104।
- तिवारी, बी. (2020). आर्थिक असमानता और माध्यमिक स्तर की बालिका शिक्षा। *विकास एवं शिक्षा पत्रिका*, 16(2), 95-108।

- दत्त, आर. (2018). लिंग आधारित असमानता और शिक्षा का प्रभाव। *समकालीन सामाजिक विश्लेषण*, 15(4), 91-105।
- दत्ता, एल. (2018). बालिकाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का मूल्यांकन। *नीति एवं प्रशासनिक समीक्षा*, 15(2), 84-97।
- दीक्षित, ए. (2019). ग्रामीण विद्यालयों में बालिका उपस्थिति की सामाजिक चुनौतियाँ। *भारतीय शिक्षा समीक्षा*, 12(3), 72-85।
- दुबे, एस. (2020). सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ और बालिकाओं की भागीदारी। *समावेशी विकास पत्रिका*, 19(4), 76-89।
- देवधर, पी. (2017). माता-पिता की शिक्षा और बालिका शैक्षिक प्रगति के बीच संबंध। *भारतीय शिक्षा चिंतन*, 12(4), 91-104।
- देसाई, टी. (2020). शौचालय सुविधाओं और किशोरियों की उपस्थिति पर प्रभाव। *स्वास्थ्य एवं शिक्षा जर्नल*, 17(4), 92-105।
- नवीन, आर. (2020). सरकारी शैक्षणिक योजनाएँ और उनके कार्यान्वयन की व्यवहारिक चुनौतियाँ। *राज्य विकास नीति पत्रिका*, 18(1), 102-115।
- नाइक, एस. (2019). ग्रामीण विद्यालयों में अवस्थापना सुधार की आवश्यकता। *जनशिक्षा समीक्षा*, 13(2), 55-69।
- पाटिल, टी. (2020). विद्यालयीय अवस्थापना और बालिकाओं की सुरक्षा। *राष्ट्रीय महिला अध्ययन पत्रिका*, 22(1), 88-102।
- पाटेकर, जे. (2018). ग्रामीण बिहार में अभिभावकों की शैक्षिक दृष्टि। *लोकशिक्षा पत्रिका*, 10(2), 58-72।
- बनर्जी, ए. (2019). ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति और बालिका शिक्षा। *सामाजिक विकास समीक्षा*, 17(2), 66-80।
- भंडारी, टी. (2020). ग्रामीण समाज में बालिका शिक्षा की सामाजिक बाधाएँ। *लोकनीति एवं शिक्षा पत्रिका*, 22(1), 55-68।
- भट्टाचार्य, पी. (2017). माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छता सुविधाएँ और बालिका सहभागिता। *राष्ट्रीय महिला शिक्षा जर्नल*, 11(3), 77-89।
- भाले, एन. (2017). किशोरी बालिकाओं के विवाह और शिक्षा में द्वंद्व। *महिला विकास समीक्षा*, 14(3), 79-93।

- भोंसले, एम. (2019). पारिवारिक सहयोग की भूमिका और किशोरियों की उपस्थिति। *शैक्षिक विमर्श पत्रिका*, 14(1), 78-93।
- मजूमदार, बी. (2020). शिक्षक-छात्रा संबंध और सुरक्षित विद्यालय वातावरण। *समावेशी शिक्षा समीक्षा*, 20(4), 119-134।
- मिश्रा, एन. (2020). बाल विवाह और किशोरी शिक्षा का द्वंद्व। *जननीति एवं शिक्षा जर्नल*, 19(2), 93-107।
- मेहता, जे. (2019). समाज में शिक्षा की उपयोगिता के प्रति दृष्टिकोण और बालिका शिक्षा। *राष्ट्रीय शैक्षिक समीक्षा*, 19(1), 83-97।
- राजगढ़िया, एल. (2018). पारिवारिक संरचना और बालिका शिक्षा की स्वायत्तता। *महिला सशक्तिकरण अध्ययन*, 13(3), 83-97।
- राजन, वी. (2020). शैक्षिक सोच में लैंगिक असंतुलन के कारण। *सामाजिक परिवर्तन अध्ययन*, 20(3), 115-130।
- राय, के. (2018). बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का क्षेत्रीय प्रभाव। *महिला शिक्षा विमर्श*, 13(3), 71-84।
- वर्मा, डी. (2018). सामाजिक दृष्टिकोण और बालिकाओं की शिक्षा में रुकावटें। *शैक्षिक विमर्श*, 10(2), 65-80।
- शरण, वी. (2019). शौचालय सुविधाओं और बालिका शिक्षा में सहसंबंध। *स्वस्थ भारत अध्ययन*, 13(4), 109-123।
- शर्मा, पी. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लैंगिक दृष्टिकोण। *शैक्षिक नीतिगत विमर्श*, 20(2), 102-117।
- शेख, एन. (2019). महिला शिक्षकों की अनुपलब्धता और सामाजिक असुविधा। *लैंगिक शिक्षा अध्ययन*, 22(1), 68-81।
- श्रीधरन, डी. (2020). पारिवारिक मूल्य और बालिकाओं की शैक्षिक निरंतरता। *समकालीन समाजशास्त्र समीक्षा*, 19(4), 111-126।
- सक्सेना, ए. (2019). शैक्षिक योजनाओं में प्रशासनिक पारदर्शिता की आवश्यकता। *शासन एवं शिक्षा समीक्षा*, 15(1), 65-79।
- सिंघल, वी. (2019). सरकारी योजनाओं का शहरी एवं ग्रामीण तुलना। *समाजशास्त्रीय अध्ययन पत्रिका*, 11(4), 86-99।

- सोनकर, डी. (2019). अनुसूचित जाति की बालिकाओं के साथ विद्यालयों में भेदभाव। *समाजशास्त्र अध्ययन जर्नल*, 13(2), 73-86।
- हुसैन, के. (2020). बाल विवाह की प्रवृत्तियाँ और किशोर शिक्षा। *भारत शिक्षा विमर्श*, 17(2), 64-77।
- हेम्ब्रम, आर. (2020). निर्णय लेने में किशोरियों की सहभागिता और शिक्षा। *लैंगिक अध्ययन जर्नल*, 21(3), 105-119।